राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक

स्रोत: बिज़नेस स्टैण्डर्ड

हाल ही में भारत सरकार ने **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)** के परामर्श से **राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (NaBFID)** को **कंपनी अधिनियम, 2013** के अंतर्गत एक "**सार्वजनिक वित्तीय संस्थान**" के रूप में अधिसूचित किया है, जिसका उद्देश्य देश में अवसंरचना वित्तपोषण को बढ़ावा देना है।

- कंपनी अधिनियम, 2013 कंपनियों के निगमन, ज़िम्मेदारियों, निदेशकों और विघटन को नियंत्रित करता है। इसने आंशिक रूप से **कंपनी अधिनियम, 1956 का स्थान लिया है।**
- यह अधिसूचना **बड़े पैमाने पर बुनियादी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं** को वित्तपोषित करने के लिये NaBFID की क्षमता को बढ़ाती है तथा राष्ट्रीय बुनियादी अवसंरचना वित्त प्रणाली को प्रभावी करती है।
- NaBFID की स्थापना वर्ष 2021 में **राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम (2021) द्वारा भारत के पाँचवें अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (AIFI)** के रूप में की गई थी ताकि बॉन्ड और डेरिवेटिव बाज़ारों के विकास सहित दीर्घकालिक बुनियादी अवसंरचना के वित्तपोषण का समर्थन किया जा सके।
  - फरवरी 2024 तक एक विशेष **विकास वित्त संस्थान (DFI)** के रूप में NaBFID ने पूरे देश में बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं के लिये 86,804 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी है, जिसमें **50% मंजूरी 20 से 50 वर्षों की लंबी अवधि की है।** NaBFID ने मार्च 2026 तक 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी देने की योजना बनाई है।
- **अन्य चार AIFI:**
  - **भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक)**
  - **राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)**
  - **नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB)**
  - **भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)**

और पढ़ें: राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक विधेयक, 2021

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/national-bank-for-financing-infrastructure-and-development-2